बिहार सरकार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अधिसूचना

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ -

- (i) यह नियमावली 'बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति, प्रोन्नित, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2023'' कही जा सकेगी।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (iii) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

परिभाषाएँ –

जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के विरूद्ध नहीं हो, इस नियमावली में-

- (i) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार ;
- (ii) 'राज्यपाल' से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल ;
- (iii) 'प्रशासी विमाग' अथवा 'विभाग' से अभिप्रेत है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ;
- (iv) 'नियमावली' से अभिप्रेत है ''बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति, प्रोन्निति, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2023''
- (v) 'आयोग' से अभिप्रेत है, बिहार लोक सेवा आयोग ;
- (vi) 'अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय' से अभिप्रेत हैं विभाग के नियत्रंणाधीन ऐसा विद्यालय जिसमें बालिकाओं की कक्षा–6 से +2 स्तर तक शिक्षा की व्यवस्था हो ;
- (vii) 'शिक्षक' से अभिप्रेत है -
- (क) इस नियमावली के अधीन कक्षा-6 से 8 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त प्रारंभिक शिक्षक (प्रशिक्षित) :
- (ख) इस नियमावली के अधीन कक्षा—9 से 10 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त/प्रोन्नत माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) (тбт) ;
- (ग) इस नियमावली के अधीन कक्षा—11 से 12 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त/प्रोन्नत उच्च माध्यिमक शिक्षक (10+2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित)(PGT);
- (viii) 'पुस्तकालयाध्यक्ष' से अभिप्रेत हैं, इस नियमावली के अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में अवस्थित पुस्तकालय की व्यवस्था एवं पुस्तकों के रख-रखाव के लिए नियुक्त पुस्तकालयाध्यक्ष ;



- (ix) 'प्रधानाध्यापक' से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में नियुक्त/प्रोन्नत प्रधानाध्यापक ;
- (x) 'विश्वविद्यालय' से अभिप्रेत है, परिनियत (स्टैच्यूट) से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ;
- (xi) 'राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद' से अभिप्रेत है राष्ट्रीय स्तर पर विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थानों एवं प्रशिक्षण व्यवस्था को विनियमित करने वाली परिषद् ;
- (xii) 'शिक्षक पात्रता परीक्षा' से अभिप्रेत हैं, इस नियमावली के अधीन सीधी नियुक्ति प्रक्रिया से नियुक्त होने वाले शिक्षक के पद से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए बिहार सरकार अथवा केन्द्र सरकार के प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा;
- (xiii) 'पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा' से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन सीधी नियुक्ति प्रक्रिया से नियुक्त होने वाले पुस्तकालयाध्यक्ष के पद से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा;
- (xiv) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत हैं, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय के निदेशक ;
- (xv) 'अनुशासनिक प्राधिकार' से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापक का नियुक्ति प्राधिकार ;
- (xvi)'अपीलीय प्राधिकार' से अभिप्रेत है विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव; (xvii) 'जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी' से अभिप्रेत है, बिहार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी सेवा के जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी;
- (xviii) 'शिक्षक प्रशिक्षण' से अमिप्रेत हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) अधिनियम, 1993 के प्रवृत होने के पूर्व केन्द्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम के प्रवृत होने के उपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) से मान्यता प्राप्त संस्थानों से बी०एउ० / बी०ए०एउ० / बी०एससी०एउ० / बी०एल०एउ० की डिग्री या 03 वर्षीय एकीकृत बी०एड० एम०एउ० की डिग्री या बी०एड० / बी०एससी० एउ० की 04 वर्षीय डिग्री अथवा वैसे राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश जहाँ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) प्रभावी नहीं है, उस राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डी०एल०एड० / बी०एड० / बी०एएड० / बी०एलस्ड० / बी०एल०एड० की डिग्री। साथ ही, समय समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण की अहर्ता;

स्पष्टीकरण —शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी डिग्री के मान्यता के बिन्दु पर अथवा किसी डिग्री के विशेष के समतुल्यता के बिन्दु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

3. संवर्ग —

इस संवर्ग के विभिन्न पद एवं उनका पदसोपान निम्नवत होगा :--

- (i) प्रारम्भिक शिक्षक (प्रशिक्षित)
- (ii) माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित)(TGT)
- (iii) उच्च माध्यमिक शिक्षक (10 + 2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) (PGT)

- (iv) प्रधानाध्यापक
- 4. अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में प्रारम्भिक शिक्षक (प्रशिक्षित) के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जायेंगे। शिक्षकों की नियुक्ति विषयवार निम्न पदों पर की जायेगी—
 - (क) गणित एवं विज्ञान शिक्षक
 - (ख) सामाजिक विज्ञान शिक्षक
 - (ग) भाषा शिक्षक

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में प्रारम्भिक शिक्षक (प्रशिक्षित) के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता निम्नवत होगी :--

- (i) भारत का नागरिक हो।
- (ii) (क) बी०ए०/बी०एस०सी० और प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो)

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी०ए०/बी०एस०सी० एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी०एड०)

या

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ बी०ए०/बी०एस०सी० एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी०एड०), जो इस संबंध में समय—समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साध्य उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 (चार) वर्षीय प्रारंग्भिक शिक्षा शास्त्र स्नातक (बी०एल०एड०)

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 (चार) वर्षीय बी०ए०/बी०एससी०एड० या बी०ए०एड०/बी०एससी०एड०

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी०ए०/बी०एससी० एवं एक वर्षीय बी०एड० (विशेष शिक्षा)

और

बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु आयोजित "शिक्षक पात्रता परीक्षा" (टी०ई०टी०) में उत्तीर्ण।

- (ख) मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) और बी०एड० (विशेष शिक्षा) के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा।
- (ग) जिसके पास डी०एड० (विशेष शिक्षा) या बी०एड० (विशेष शिक्षा) की योग्यता है, उसे नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा।



(घ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण) विनियम, 2001 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार 3 सितम्बर 2001 अथवा उसके बाद नियुक्त बी०एड० की योग्यता रखने वाले कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(इ) समकक्ष तकनीकी शिक्षा की डिग्री (पौलिटेकनिक, यूनानी शिक्षा आदि) तथा प्राच्यभाषा विशेष से संबंधित डिग्री (मौलवी, उप शास्त्री) सामान्य शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं हैं किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की

उपाधी / डिग्री भी शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगा।

(च) आयु:— नियुक्ति वर्ष की पहली अगस्त को प्रारंभिक शिक्षक (प्रशिक्षित) के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय—समय पर विहित किया गया हो, साथ ही, अधिकतम आयु में अन्य कोई भी छूट सामान्य प्रशासन विभाग से सहमति प्राप्त कर प्रशासी विभाग द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित)
 (1G1) के 80 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति से भरे जायेंगे, जबिक शेष 20 प्रतिशत पद प्रोन्नित से भरे

जायेंगे।

(अ) अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता निम्नवत होगी :—

(i) भारत का नागरिक हो।

(ii) (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विनिर्दिष्ट विषय समूह के साथ न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सिंहत स्नातक/रनातकोत्तर उत्तीण होना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/मिहला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना/बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरमंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जायेगा।

साथ ही, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बीoएड)

अथवा

13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय—सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाद्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमित विनियम) तथा (10.12.2007 को अधिसूचित) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदंड और क्रियाविधि) विनियम—2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 45 प्रतिशत अंको सिहत स्नातक/स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड/

मौलाना मजहरूलहक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरमंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जायेगा।

साथ ही, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बीoएडo)।

अथवा

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बी०ए०एड०/बी० एससी० एड० की चार वर्षीय डिग्री।

(ख) शारीरिक शिक्षा शिक्षक के पद के लिए अर्हता :--

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में रनातक की डिग्री। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी

अथवा

एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में रनातक डिग्री तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन युनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर—विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा ऐथिलिटिक्स में सहभागिता। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी

अध्यता

45 प्रतिशत अंको सिहत स्नातक डिग्री तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर-विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेलों अथवा ऐथलेटिक्स में सहभागिता। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/मिहला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

अथवा

प्रतिनियुक्त सेवान्त अभ्यर्थी (अर्थात् प्रशिक्षित शारीरिक अध्यापक / कोच) — 45 प्रतिशत अंको सिहत स्नातक। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग / मिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग / मिछड़ा वर्ग / किमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निधारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। साथ ही, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2009 के अनुसार कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव।

अथवा

45 प्रतिशत अंको सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निधारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

अथवा



एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 40 प्रतिशत अंको सहित स्नातक। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एव आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निधारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

अथवा

ऐसा स्नातक, जिसने खेलकूद / खेलों में स्कूल, अन्तर कॉलेजिएट में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 (10.12.2007) को अधिसूचित के अनुसार एन०सी०सी० 'सी' प्रमाण पत्र पास किया हो।

अथवा

शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक अर्थात बी०पी०एड० पाठ्यक्रम (अथवा इसके समतुल्य)

अथवा

ऐसा स्नातक, जिनसे खेलकूद/खेलों/ ऐथलेटिक्स में राज्य/विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो।

अथवा

ऐसा स्नातक, जिसने अन्तर-कॉलेजिएट खेलकूद/खेल प्रतियोगिताओं में पहला, दूसरा अथवा तीसरा स्थान प्राप्त किया हो/एन०सी०सी० 'सी' प्रमाण पत्र का धारक हो अथवा जिसने जोखिमपूर्ण खेलकूद में बुनियादी पाठ्यक्रम पास किया हो।

अथवा

13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 के अनुसार खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रबंध, खेलकूद कोंचिंग, योगा, ओलंपिक शिक्षा, खेलकूद पत्रकारिता आदि में एक वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित स्नातक।

तथा

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातक (बीठपीठएड०) अथवा इसके समतुल्य।

(iii) बिहार सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय—समय पर आहूत "शिक्षक पात्रता परीक्षा" में उत्तीर्ण।

(iv) आयु :- नियुक्ति वर्ष की पहली अगस्त को माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर विहित की जाय। साथ ही, अधिकतम आयु में अन्य कोई भी छूट सामान्य प्रशासन विभाग से सहमित प्राप्त कर प्रशासी विभाग द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

(ब) अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षक (प्रशिक्षित) के पद से माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित)(тот) के पद पर प्रोन्नित हेतु निम्न अर्हता अनिवार्य होगी:--

(i) प्रारंभिक शिक्षक (प्रशिक्षित) के पद पर योगदान की तिथि से न्यूनतम 5 वर्षों की लगातार सेवा हो।



- (ii) जिस विषय समूह से स्नातक किया हो, उसी विषय समूह के किसी विषय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
 - (іі) प्रोन्नित वर्ष के तीन वर्ष पूर्व तक का यथा निर्देशित स्वच्छता प्रमाण-पत्र।
- अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जायेंगे।

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता निम्नवत होगी :--

- (i) भारत का नागरिक हो।
- (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक की डिग्री हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/ महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्घारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना/बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरमंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत शास्त्री के डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जायेगा।
 - (iii) मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा दी गई पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री।
- (iv) बिहार सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय─समय पर आहूत पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण।
- (v) आयु:— नियुक्ति वर्ष की पहली अगस्त को पुस्तकालयाध्यक्ष के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय—समय पर विहित की जाय। साथ ही, अधिकतम आयु में अन्य कोई भी छूट सामान्य प्रशासन विभाग से सहमति प्राप्त कर प्रशासी विभाग द्वारा निर्धारित की जा सकती है।
- 7. अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में उच्च माध्यमिक शिक्षक (10 + 2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) (PGT) के 80 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति से भरे जायेंगे, जबिक शेष 20 प्रतिशत पद प्रोन्नित से भरे जायेंगे।
- (अ) अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में उच्च माध्यमिक शिक्षक (10 + 2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) (PGT) के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता निम्नवत होगी:—
 - (i) भारत का नागरिक हो।
- (ii) (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विनिर्दिष्ट विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड/मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना द्वारा प्रदत्त फाजिल की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरंभगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री को स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जाएगा। साथ ही, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान के शिक्षा में स्नातक (बी०एड०/बी०एएड०/बी०एएड०)।



(13.11.2002 को अधिसूचित) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडो और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षिण शुरू करने के लिए अनुमित) विनियम 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम—2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 45 प्रतिशत अंको सिहत स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड/मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना द्वारा प्रदत्त फाजिल की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरंमगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री को स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जाएगा। साथ ही, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान के शिक्षा में स्नातक (बी०एड०/बी०एएड०/बी०एएड०)।

(ख) कम्प्यूटर विषय के शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर/समतुल्य योग्यता अनिवार्य होगी। इन पदों पर नियुक्ति हेतु बी०एड०/बी०ए०एड०/बी०एससी०एड० की डिग्री की अनिवार्यता नहीं होगी।

(ग) बिहार सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय—समय पर आहूत "शिक्षक पात्रता परीक्षा" में उत्तीर्ण।

(घ) आयु:— नियुक्ति वर्ष की पहली अगस्त को उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) (PGT) के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय—समय पर विहित की जाय। साथ ही, अधिकतम आयु में अन्य कोई भी छूट सामान्य प्रशासन विभाग से सहमति प्राप्त कर प्रशासी विभाग द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

(ब) अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित)(ाढा) के पद से उच्च माध्यमिक शिक्षक (10 + 2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) (PGT) के पद पर प्रोन्नित हेत् निम्न अर्हता अनिवार्य होगी:—

(i) माध्यमिक शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि से न्यूनतम 4 वर्षों की लगातार सेवा हो।

(ii) जिस विषय समूह से स्नातक किया हो, उसी विषय समूह के किसी विषय से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साध्य स्नातकोत्तर की योग्यता हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग/महिला के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(iii) प्रोन्नति वर्ष के तीन वर्ष पूर्व तक का यथा निर्देशित स्वच्छता प्रमाण-पत्र।

8. अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 80 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति से भरे जायेंगे, जबिक शेष 20 प्रतिशत पद प्रोन्नित से भरे जायेंगे।

इस हेतु आवश्यक अर्हता निम्नवत होगी:-

(i) भारत का नागरिक हो।



- (ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के साथ न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर उर्त्तीण होना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। मौलाना मजहरूल इक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना/बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समत्त्व्य माना जायेगा।
- (iii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड) / बी०ए०एड० / बी०एससी०एड० उत्तीण होना।

(iv) अनुभव -

- (क) प्रारम्भिक शिक्षक (प्रशिक्षित) के पद पर योगदान की तिथि से न्यूनतम 15 वर्षों की लगातार सेवा हो.
- (ख) माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित)(тढा) के पद पर योगदान की तिथि से न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा हो.
- (ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)/माध्यमिक शिक्षा के भारतीय प्रमाण पत्र (ICSE)/बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) से स्थाई संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा हो,
- (घ) उच्च माध्यमिक शिक्षक (10 + 2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) (PGT) के पद पर योगदान की तिथि से न्यूनतम 08 वर्ष की लगातार सेवा हो,
- (ड) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)/माध्यमिक शिक्षा के भारतीय प्रमाण पत्र (ICSE)/बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) से स्थाई संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा हो।

उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि, जो बाद की तिथि हो, के आधार पर की जाएगी।

(v) आयु -

इस नियमावली अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक के न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)/माध्यमिक शिक्षा के भारतीय प्रमाण पत्र (ICSE)/बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) से स्थाई संबद्धता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए न्यूनतम आयु 31 वर्ष और अधिकतम आयु 47 वर्ष होगी।

9. आरक्षण -

राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान इस नियमावली के अंतर्गत होने वाले सीधी नियुक्ति पर भी प्रभावी होगा। इसी प्रकार, राज्य सरकार के अधीन प्रोन्नित में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान इस नियमावली के अंतर्गत होने वाले प्रोन्नित पर भी प्रभावी होगा।

10. वेतनमान — अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में नियुक्त/प्रोन्नत शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष/प्रधानाध्यापक को वही वेतनमान देय होगा, जो शिक्षा विभाग के द्वारा समय—समय पर स्वीकृत किये गये वेतनमान को दृष्टिपथ रखते हुए राज्य सरकार द्वारा तय किये जायेंगे।



11. संवर्ग बल -

इस संवर्ग की प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा उसकी कुल संख्या उतनी होगी जितनी इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि तक सरकार द्वारा स्वीकृत/अवधारित की गई हो तथा उसके बाद की तिथियों से सरकार द्वारा समय—समय पर आवश्यकतानुसार स्वीकृत अथवा अवधारित की जाय।

12. संवर्ग के सदस्यों पर प्रशासनिक नियत्रंण -

संवर्ग के सभी कोटि के पदों का प्रशासी विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का होगा, जो संवर्ग के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा।

13. नियुक्ति की प्रक्रिया -

- (i) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रारम्भिक शिक्षक (प्रशिक्षित), माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित)(тбт), उच्च माध्यमिक शिक्षक (10 + 2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) (PGT), प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लीयरेंस के बाद आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकतानुसार आयोग को भेजी जायेगी।
- (ii) सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा। आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में शिक्षक—अभ्यर्थी द्वारा योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। राज्य सरकार के विद्यालय से भिन्न विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा यह प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा कि निर्धारित अवधि में उन्हें वेतन बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त हुआ और इसका साक्ष्य उनके स्तर पर उपलब्ध है।
- (iii) परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम एवं पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासी विभाग के परामर्श से किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुरितकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षाफल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा।
- (iv) यह परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी, जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा की अविध दो घण्टा की होगी।
- (क) नियमित नियुक्ति किये जाने हेतु संविदा नियोजित कर्मियों को नियुक्ति की प्रक्रिया में निम्नांकित अधिमानता (Weightage) दी जायेगी :-
- (ख) संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित स्नातक शिक्षक / व्याख्याता द्वारा प्रतिवर्ष संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंको की अधिमानता (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यदिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा) दी जायेगी। परीक्षा में न्यूनतम अहर्तांक में अधिमानता के के आधार पर प्राप्त अंक शामिल नहीं किया जायेगा।
- (ग) संविदा नियोजन के फलस्वरूप किये गये कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जायेगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जायेगा।
 - (v) उक्त परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा।
- (vi) आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जायेगी।



(जा) आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा, नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी, जब तक की यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत नियुक्ति प्राधिकार संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष/प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है।

14. प्रमाण पत्रों की जाँच -

- (i) नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि वे नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक / प्रशिक्षण योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथा आवश्यक जाँच करा लेंगे।
- (ii) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (cBSE)/माध्यमिक शिक्षा के भारतीय प्रमाण पत्र (icSE)/बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) से स्थाई संबद्धता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाणपत्र की जाँच संबंधित विद्यालय द्वारा उनके बैंक खाता के माध्यम से दिये गए वेतन एवं संबंधित विद्यालय द्वारा सत्यापित वेतन विवरणी के आधार पर करने के उपरांत ही नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा।
- (iii) प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द कर करते हुए वेतनादि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एण्ड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

15. सेवा संबंधी शर्ते -

- (i) शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापक अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक नियुक्त रह सकेंगे।
- (ii) नियुक्ति के बाद प्रथम 02 वर्ष की अवधि परीक्ष्यमान अवधि होगी। इस अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में एक वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार इनके संबंध में सुनवाई का एक अवसर देते हुए अनुशासनिक प्राधिकार को सेवा समाप्त करने की अनुशंसा करेंगे। उक्त अनुशंसा के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संबंधित की सेवा समाप्त की जा सकती है।
- (iii) परिवीक्षा अवधि में प्रधानाध्यापक को शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा विहित सांस्थिक या अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा। प्रशिक्षण का कैलेंडर एवं पाठ्यक्रम विभाग द्वारा शिक्षा विभाग के अनुरूप किया जाएगा।
- (iv) परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप में पूर्ण करने एवं विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के अतिरिक्त प्रधानाध्यापक को विभागीय परीक्षा में भी उत्तींण होना होगा। विभागीय परीक्षा से संबंधित विस्तृत दिशा—निर्देश केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा प्रशासी विभाग के परामर्श से अलग से निर्गत किया जाएगा।
- (v) (क) शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने पर सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी।
- (ख) प्रधानाध्यापक परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं विभागीय परीक्षा उत्तीण होने पर सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी।
- (vi) शिक्षकों / पुस्तकालयाध्यक्षों / प्रधानाध्यापकों की आपसी वरीयता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुरूप किया जायेगा।



16. प्रोन्नित -

विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित)(ादा) एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक(10 + 2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) (१६) तथा प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नित हेतु पैनल का निर्माण किया जाएगा। इनकी प्रोन्नित पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय स्तर पर गठित प्रोन्नित समिति की अनुशंसा से की जाऐगी। प्रशासी विभाग द्वारा प्रोन्नित से संबंधित विस्तृत दिशा—निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा।

17. अनुकम्पा के आघार पर नियुक्ति -

इस नियमावली के आलोक में नियुक्त/प्रोन्नत होने वाले शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष /प्रधानाध्यापक/की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके एक अर्हताधारी आश्रित को संबंधित विद्यालय अथवा विभाग के अधीन अन्य जिलों में अवस्थित विद्यालय में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रावधान (समय—समय पर यथासंशोधित) के अनुसार अनुकम्पा पर नियुक्ति किया जायेगा।

18. स्थानान्तरण -

(i) शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापक का पद स्थानान्तरणीय होगा।

(ii)मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं प्रशासी विभाग द्वारा स्थानान्तरण के निमित समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में स्थानान्तरण की कार्रवाई संबंधित संवर्गीय पद पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा किया जा सकेगा।

(iii)शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापक का अन्तर जिला स्थानान्तरण एँच्छिक/प्रशासनिक/शैक्षणिक दृष्टिकोण से हो सकेगा। इसके लिए सक्षम प्राधिकार निदेशक,

पिछडा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण निवेशालय होंगे।

19. सेवा पुस्तिका का संधारण -

शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापक की सेवा पुस्तिका का संधारण जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के स्तर पर किया जायेगा।

20. आचरण संहिता -

- (i) निर्धारित पाठ्यक्रम को सुगम एवं सुलभ ढंग से पूर्ण करना / कराना ।
- (ii) समय पर विद्यालय आना और निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना/कराना।
- (iii) बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना/कराना।
 - (iv) प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निजी व्यापार में संलग्न नहीं होना।
 - (v) किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना।
- (vi) सामाजिक कुरीतियों विशेषकर बाल-विवाह एवं दहेज-प्रथा को दूर करने में सिक्रिय भूमिका निभाना।
- (vii) नियुक्ति प्राधिकार, जिला पदाधिकारी एवं जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर दिए जाने वाले निदेशों का अनुपालन करना।

- (viii) वार्षिक माध्यमिक परीक्षा एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा के सफल संचालन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निदेशों का अनुपालन करना।
- (ix) बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 (समय—समय पर यथासंशोधित) में निहित प्रावधान का अनुपालन किया जायेगा।

21. अनुशासनिक कार्रवाई -

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधान इस नियमावली के अधीन नियुक्त होने वाले शिक्षकों / पुस्तकालयाध्यक्षों / प्रधानाध्यापकों पर प्रभावी होगा।

22. अपीलीय प्राधिकार -

इस नियमावली के अधीन नियुक्ति संबंधी शिकायत/अपील तथा इस नियमावली के अधीन कार्यरत शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष/प्रधानाध्यापक की सेवाशर्त से जुड़े मामलों पर अपील सुनकर विनिश्चय करने की शक्ति अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में निहित होगी।

23. प्रकीर्ण -

- (i) प्रशासी विभाग इस नियमावली के किसी प्रावधानों को स्पष्ट कर सकेगी तथा इसे लागू करने में उत्पन्न कठिनाईयों को दूर कर सकेगी।
- (ii) राज्य सरकार विषयवार शिक्षकों के नियुक्ति हेतु निर्दिष्ट विषय एवं विभिन्न अर्हताओं के समतुल्य डिग्री / उपाधि निर्धारित कर सकेगी।

24. विनियम बनाने की शक्ति -

इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए विभाग विनियमावली बना सकेगा।

25. निर्वचन -

इस नियमावली किसी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो तो आवश्यकतानुसार वह विषय विधि विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/शिक्षा विभाग आदि के परामर्श से विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और विभाग का विनिश्चिय अंतिम होगा।

26. निरसन एवं व्यवृति -

- (क) इस सेवा के संबंध में विभाग द्वारा समय—समय पर पूर्व में निर्गत संकल्प/ नियमावली/आदेश आदि एतद् द्वारा निरसित समझी जाएगी।
- (ख) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश आदि के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया समझा जाएगा, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

प्रधान सचिव

ज्ञापांकः पि०व०अवा०वि०-८०-१०२/2010.- २८५१-पटना, दिनांक- 20/09/2023 प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, ई-गजट शाखा को सीठडीठ सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के

साथ प्रेषित किया जाता है कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 50 प्रतियाँ पिछडा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

ज्ञापांकः पि०व०अवा०वि०-८०-१०२/२०१० — 2052

पटना, दिनांक- 9.0/09/2023

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को स्चनार्थ, प्रेषित।

पटना, दिनांक- 20/09/2023 ज्ञापांकः पि०व०अवा०वि०-८०-१०२/२०१० - 2.05% प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी निदेशक, शिक्षा विभाग / सभी जिला पदाधिकारी / सभी जिला उप विकास आयक्त / सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछडा एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण / सभी जिला पिछडा एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण पदाधिकारी / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) / सभी कोषागार पदाधिकारी / पिछडा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण विभाग के सभी पदाधिकारी को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित्।

प्रधान सचिव

ज्ञापांकः पि०व०अवा०वि०-८०-102/2010...- 2052

पटना, दिनांक- 20/09/2023

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक- 20/09/2023

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर उक्त नियमावली की प्रति अपलोड करने हेत् प्रेषित।

Bihar Government

Backward Classes and Extremely Backward Classes Welfare Department. Notification

No:- Pi.Va.Aav.Vi-80-102/2010 - 2052.

Patna, Dated :- 20/09/2023

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate the appointment, promotion, and other service conditions to the posts of teacher, librarian and headmaster in Other Backward Classes Girls Residential +2 High Schools under the Backward Classes and Extremely Backward Classes Welfare Department, Bihar:-

1. Short title, extent and commencement:-

- (i) These rules may be called the "Bihar State Backward Classes and Extremely Backward Classes Girls Residential +2 High School Teachers (Appointment, Promotion, Disciplinary Action and Service Conditions) Rules, 2023".
 - (ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
 - (iii) This notification shall be effective from the date of issue.

2. Definitions:-

Unless there is anything repugnant to the subject or context, in these rules-

- (i) "Government" means the Government of Bihar:
- (ii) "Governor" means the Governor of Bihar;
- (iii) "Administrative Department" or "Department" means the Backward Classes and Extremely Backward Classes Welfare Department;
- (iv) "Rules" means the "Bihar State Backward Classes and Extremely Backward Classes Girls Residential +2 High School Teachers (Appointment, Promotion, Disciplinary Action and Service Conditions) Rules, 2023";
 - (v) "Commission" means the Bihar Public Service Commission;
- (vi) "Other Backward Classes Girls Residential +2 High School" means a school under the control of the Department, in which there is a system of education for girls from class 6 to + 2 level;
 - (vii) "Teacher" means-
 - (a) A primary teacher (trained) appointed under these rules for teaching classes 6 to 8;
- (b) A secondary teacher (Graduate Trained) (TGT) appointed/promoted for teaching classes 9 to 10 under these rules.
- (c) A higher secondary teacher (10+2) (Post Graduate Trained)(PGT) appointed /promoted for teaching classes 11 to 12 under these rules.



- (viii) "Librarian" means the Librarian appointed under these rules for the arrangement and maintenance of books in Other Backward Classes Girls Residential +2 High School located in the High School;
- (ix) "Headmaster" means the Headmaster appointed/promoted under these rules in Other Backward Classes Girls Residential +2 High School;
- (x) "University" means a University constituted by the Statute or a University recognized by the University Grants Commission;
- (xi) "National Council for Teacher Education" means the Council regulating the specified training institutions and training systems at the national level;
- (xii) "Teacher Eligibility Test" means the eligibility test to be conducted by the authorized agency of Bihar Government or Central Government for the candidates belonging to the post of teacher to be appointed by direct appointment process under these rules;
- (xiii) "Librarian Eligibility Test" means the eligibility test to be held under these rules for the candidates belonging to the post of Librarian to be appointed by direct appointment process;
- (xiv) "Appointment Authority" means the Director of the Directorate of Backward and Extremely Backward Classes Welfare;
- (xv) "Disciplinary Authority" means the appointing authority of teachers, librarians and headmasters under these rules;
- (xvi) "Appellate Authority" means the Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary of the Department;
- (xvii) "District Backward and Extremely Backward Classes Welfare Officer" means the District Backward and Extremely Backward Classes Welfare Officer of the Bihar Backward Classes and Extremely Backward Classes Welfare Officer Service;
- years unified degree of B.Ed-M.Ed or 04 years degree of B. Ed./B.Sc.Ed. from institutions recognized by the Central or any State Government before coming into force of the National Council for Teacher Education (NCTE) Act, 1993 or from institutions recognized by NCTE after coming into force of the National Council for Teacher Education Act and such State/Union Territory where the National Council for Teacher Education is not in effect the degree of D.L.Ed./B.Ed./B.A.Ed./B.Sc.Ed./B.El.Ed. from an institution recognized by that State/Union Territory. Along with this, Teacher Training qualification as determined by the National Council for Teacher Education (NCTE) from time to time.

Explanation: The decision of the Department in consultation with the National Council for Teacher Education (NCTE) shall be final in case of any dispute on the point of validity of any Teacher Training degree or on the point of equivalence of any particular degree.

3. Cadre:-



The various posts of this cadre and their hierarchy shall be as follows:-

- (i) Primary Teacher (Trained)
- (ii) Secondary Teacher (Graduate Trained) (TGT)
- (iii) Higher Secondary Teacher (10 + 2) (Post Graduate Trained)(PGT)
- (iv) The Headmaster
- 4. All the posts of Primary Teacher (Trained) in Other Backward Classes Girls Residential +2 High Schools shall be filled by direct appointment. Teachers shall be appointed subject wise on the following posts:-
 - (a) Mathematics and Science teacher
 - (b) Social Science teacher
 - (c) Language teacher

The essential qualifications for appointment to the post of primary teacher (trained) in Other Backward Classes Girls Residential +2 High Schools shall be as follows:-

- (i) Should be a citizen of India.
- (ii) (a) B.A./B.Sc. and 2-year Diploma in Primary Education (by whatever name known)

Or

B.A./B.Sc. with minimum 50% marks and one year Bachelor of Education (B.Ed.)

Or

B.A./B.Sc. with minimum 45% marks and one year Bachelor of Education (B.Ed.), which has been obtained as per the National Council of Teacher Education (Recognition, Standards and Procedure) Regulations 2002 issued from time to time in this regard.

Or

Higher Secondary (or its equivalent) with minimum of 50% marks and 4 (four) years Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.)

Or

Higher Secondary (or its equivalent) with minimum of 50% marks and 4 (four) years B.A./B.Sc.Ed. or B.A.Ed./B.Sc.Ed.

Or

BA/B.Sc with minimum 50% marks and one year B.Ed. (Special Education)

And

Passed in the "Teacher Eligibility Test" (TET) conducted by the Bihar Government or Central Government for appointment as a teacher for teaching class 6 to 8.

(b) Diploma/Degree course in teacher education from a recognized training institution shall be valid. For Diploma in Education (Special Education) and B.Ed. (Special

0_

Education) the courses recognized only by the Rehabilitation Council of India (RCI) shall be valid.

- (c) Who possesses the qualification of D.Ed. (Special Education) or B.Ed. (Special Education) shall be required to undergo six months special training in Primary Education recognized by the National Council for Teacher Education after appointment.
- (d) The teachers of class 1 to 5 having B.Ed. qualification appointed on or after 3rd September 2001 shall have to get 6 months special training in elementary education recognized by the National Council for Teacher Education as per the National Council for Teacher Education (Determination of Minimum Qualification for Recruitment of Teachers in Schools) Regulations, 2001 (as amended from time to time).
- (e) Equivalent degree of technical education (Polytechnic, Unani education etc.) and degree related to special oriental language (Maulvi, Up-shastri) are not valid for appointment to the post of general teacher and degree of a particular language provided by voluntary institutions established by any society or trust, shall also not be valid.
- (f) Age:- The minimum age of the candidates of Primary teacher (trained) as on 1st August of the year of appointment shall be 18 years and category wise maximum age limit shall be the same as prescribed by the State Government (General Administration Department) from time to time, apart from this any other relaxation in the maximum age can be fixed by the Administrative Department after obtaining consent from the General Administration Department.
- 5. 80 % posts of Secondary Teacher (Graduate Trained) (TGT) in Other Backward Classes Girls Residential +2 High Schools shall be filled by direct appointment, while the remaining 20 % posts shall be filled by promotion.
- (a) The essential qualifications for appointment by direct recruitment to the post of Secondary Teacher (Graduate Trained) in Other Backward Classes Girls Residential +2 High Schools shall be as follows:-
 - (i) Should be a citizen of India,
- (ii) (a) Must have passed Graduation/Post Graduation with minimum 50% marks in the specified subject group from a recognized University. For SC/ST/Extremely Backward Classes/Backward Classes/Divyang/Women and Economically Weaker Sections, 5% relaxation shall be given in the minimum prescribed marks. The degree of Alim awarded by Maulana Mazharul Haq Arabic and Persian University, Patna/Bihar State Madarasa Education Board and the degree of Shastri awarded by Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University shall be considered equivalent to graduation. Also, Bachelor of Education (B.Ed) from an institute recognized by the National Council for Teacher Education.

Must have passed Graduation/Post Graduation with at least 45% marks from a recognized University as per National Council for Teacher Education (Application Form for Recognition, Time Limit for Submission of Application, Prescribing Norms and Standards for Recognition of Teacher Education Programs and Permission Regulation for Starting New Courses or Training) notified on 13.11.2002 and National Council for Teacher Education (Recognition, Norms and Methodology) Regulation-2007(Notified on 10.12.2007). SC/ST/Extremely Backward Classes/Backward Classes/Divyang/Women and Economically Weaker Section shall be given a relaxation of 5% in the minimum prescribed marks. The degree of Alim awarded by Bihar State Madarasa Education Board/ Maulana Mazharul Haque Arabic and Persian University, Patna and the degree of Shastri awarded by Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University shall be considered equivalent to graduation. Also, Bachelor of Education (B.Ed.) from a training institute recognized by the National Council for Teacher Education.

Or

Four-year degree of B.A.Ed./B.Sc.Ed. from any institution recognized by the National Council for Teacher Education.

(b) Qualification for the post of Physical Education Teacher:-

Bachelor's degree in Physical Education from a recognized University with minimum of 50% marks with physical education as an optional subject. SC / ST / Extremely Backward Classes/Backward Classes/Divyang/Women and Economically Weaker Section shall be given a relaxation of 5% in the minimum prescribed marks.

Or

Bachelor's degree in physical education with minimum 45% marks with physical education as an optional subject and participation in national or state or inter-university sports or sports competitions or athletics recognized by the Association of Indian Universities or Indian Olympic Association. SC/ST/Extremely Backward Classes/Backward Classes/Divyang/Women and Economically Weaker Section shall be given a relaxation of 5% in the minimum prescribed marks.

Or

Bachelor's degree with 45% marks and participation in national or state or interuniversity sports or sports competition or athletics. For SC/ST/Extremely Backward Classes/Backward Classes/Divyang/Women and Economically Weaker Section, 5% relaxation shall be given in the minimum prescribed marks.

Or

Deputed terminal candidates (i.e trained physical teacher/coach) - Graduate with 45% marks. SC/ST/Extremely Backward Classes/ Backward Classes/ Divyang/Women and Economically Weaker Section shall be given a relaxation of 5 % in the minimum prescribed

1

marks. Apart from this at least 3 years teaching experience as per the National Council for Teacher Education (Recognition, Norms and Procedure) Regulations, 2009.

Or

Graduate in Physical Education with 45% marks. There shall be a relaxation of 5 % in the minimum prescribed marks for SC / ST / Extremely Backward Classes / Backward Classes / Divyang / Women and Economically Weaker Sections.

Or

Graduation with 40 percent marks with physical education as an optional subject. There shall be a relaxation of 5 % in the minimum prescribed marks for SC / ST / Extremely Backward Classes / Backward Classes / Divyang / Women and Economically Weaker Sections.

Or

A graduate who has participated in sports/ games in school, inter collegiate or has passed NCC 'C' certificate as per notification of National Council for Teacher Education (Recognition, Norms and Procedure) Regulations, 2007 (10.12.2007).

Or

Bachelor's degree in Physical Education of 3 years duration that is B.P.Ed course (or its equivalent)

Or

A graduate who has represented the State/University in Sports/games/Athletics.

0

A graduate who has secured 1st, 2nd or 3rd position in Inter-Collegiate Sports/Sports Competitions/Holder of NCC 'C' Certificate or who has passed Basic Course in Adventurous Sports.

Or

Graduates with one year training program in Sports Science, Sports Management, Sports Coaching, Yoga, Olympic Education, Sports Journalism etc as per National Council for Teacher Education (Application for Recognition, Time Limit for Submission of Application, Prescribing Norms and Standards for Recognition of Teacher Education Programs and Permission for Starting New Courses or Training) Regulations, 2002 notified on 13.11.2002

And

Bachelor's degree in Physical Education (B.P.Ed.) of at least one year duration or its equivalent from an institution recognized by the National Council for Teacher Education.

(iii) Passed in the "Teacher Eligibility Test" conducted from time to time by the Bihar Government or Central Government.



- (iv) Age:- The minimum age of the candidates of Secondary Teacher (Graduate Trained) as on 1st August of the year of appointment shall be 21 years and category wise maximum age limit shall be the same as may be prescribed by the State Government (General Administration Department) from time to time. Apart from this, any other relaxation in the maximum age can be decided by the Administrative Department after obtaining consent from the General Administration Department.
- (b) For promotion from the post of Primary teacher (trained) to the post of secondary teacher (graduate trained) (TGT) in Other Backward Classes Girls Residential +2 High Schools, the following qualification shall be mandatory:-
- (i) Minimum 5 years of continuous service to the post of Primary Teacher (Trained) from the date of joining.
- (ii) Bachelor's degree with at least 50% marks in any subject of the subject group from which he/she is graduated. SC/ST/Extremely Backward Classes/Backward Classes/Divyang/Women and Economically Weaker Section shall be given a relaxation of 5% in the minimum prescribed marks.
 - (iii) Clearance certificate up to three years before the year of promotion as directed.
- All the posts of Librarian in Other Backward Classes Girls Residential +2 High Schools shall be filled by direct appointment.

The essential qualification for the appointment of librarian in Other Backward Classes Girls Residential +2 High Schools shall be as follows:-

- (i) Should be a citizen of India.
- (ii) Bachelor's degree from a recognized University with minimum 45% marks. SC/ST/Extremely Backward Classes/Backward Classes/Divyang/Women and Economically Weaker Section shall be given a relaxation of 5% in the minimum prescribed marks. The degree of Alim awarded by Maulana Mazharul Haque Arabic and Persian University, Patna/Bihar State Madarasa Education Board and the degree of Shastri awarded by Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University shall be considered equivalent to graduation.
 - (iii) Bachelor's degree in Library Science awarded by a recognized University.
- (iv) Passed in the Librarian Eligibility Test conducted from time to time by the Bihar Government and/or Central Government.
- (v) Age:- As on 1st August of the year of appointment, the minimum age of Librarian candidates shall be 21 years and category wise maximum age limit shall be the same as may be prescribed by the State Government (General Administration Department) from time to time. Apart from this, any other relaxation in the upper age limit can be determined by the Administrative Department after obtaining consent from the Administration Department.



- 7. In Other Backward Classes Girls Residential +2 High Schools, 80 % of the posts of Higher Secondary Teacher (10 + 2) (Post Graduate Trained)(PGT) shall be filled by direct appointment, while the remaining 20 % posts shall be filled by promotion.
- (A) The essential qualification for direct recruitment to the post of Higher Secondary Teacher (10 + 2) (Post Graduate Trained)(PGT) in Other Backward Classes Girls Residential +2 High Schools shall be as follows:-
 - (i) Should be a citizen of India.
- (ii) (a) Must have passed post Graduation in the specified subject from a recognized University with a minimum of 50% marks. For SC/ST/Extremely Backward Classes/Backward Classes/Divyang/Women and Economically Weaker Section, 5% relaxation shall be given in the minimum prescribed marks. The Degree of Fazil awarded by Bihar State Madarasa Education Board / Maulana Mazharul Haque Arabic and Persian University, Patna And the degree of Acharya awarded by Kameshwar Singh Darbhaga Sanskrit University shall be considered equivalent to post-graduation. Apart from this a graduate in education (B.Ed./B.A.Ed./B.Sc.Ed) of an institution recognized by the National Council for Teacher Education.

Or

Must have passed post- graduation in the specified subject from a recognized University with a minimum of 45% marks as per National Council for Teacher Education (Time limit for submission of applications for recognition, laying down of norms and standards for recognition of teacher education programs and permission for starting new courses or training) Regulations 2002 (notified on 13.11.2002) and the National Council for Teacher Education Procedure) Regulations-2007 notified on and Norms SC/ST/Extremely Backward Classes /Backward Classes/Divyang/Women and Economically Weaker Section shall be given a relaxation of 5% in the minimum prescribed marks. The degree of Fazil awarded by Bihar State Madarasa Education Board/ Maulana Mazharul Haque Arabic and Persian University, Patna and the degree of Acharya awarded by Kameshwar Singh Darbhaga Sanskrit University shall be considered equivalent to post-graduation. Apart from this Graduate in Education (B.Ed./B.A.Ed./B.Sc.Ed) from an Institute recognized by the National Council for teacher education.

- (b) Post graduate/equivalent qualification in the specified subject shall be mandatory for appointment to the post of computer teacher. B.Ed./B.A.Ed./B.Sc.Ed. Degree shall not be mandatory for appointment to these posts.
- (c) Passed in the "Teacher Eligibility Test" conducted from time to time by the Bihar Government or Central Government.
- (d) Age:- The minimum age of the candidates for a higher secondary teacher(10 + 2) (Post Graduate Trained)(PGT) as on 1st August of the year of appointment shall be 21 years and



category wise maximum age limit shall be the same as may be prescribed by the State Government (General Administration Department) from time to time. Apart from this any other relaxation in the maximum age can be decided by the Administrative Department after obtaining consent from the General Administration Department.

- (B) For promotion from the post of Secondary Teacher (Graduate Trained) (TGT) to the post of Higher Secondary Teacher (10 + 2) (Post Graduate Trained)(PGT) in Other Backward Classes Girls Residential +2 High Schools, the following qualification shall be mandatory:-
- (i) Minimum 4 years of continuous service to the post of Secondary Teacher from the date of joining.
- (ii) The qualification of post graduation with at least 45% marks in any subject of the subject group from which graduation have been completed. For SC/ST/Extremely Backward Classes/Backward Classes/Divyang/Women, 5% relaxation shall be given in the minimum prescribed marks.
 - (iii) Clearance certificate up to three years before the year of promotion as directed.
- 8. 80 % of the posts of Headmaster in Other Backward Classes Girls Residential + 2 High Schools shall be filled by direct appointment, while the remaining 20 % posts shall be filled by promotion.

For this the essential qualification shall be as follows:-

- (i) Should be a citizen of India.
- (ii) Must have passed post graduation from a recognized university with a minimum of 50% marks. For SC/ST/Extremely Backward Classes/Backward Classes/ Divyang/ Women and Economically Weaker Sections, 5% relaxation shall be given in the minimum prescribed marks. The degree of Alim awarded by Maulana Mazharul Haque Arabic and Persian University, Patna/Bihar State Madarasa Education Board, and the degree of Shastri awarded by Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University shall be considered equivalent to graduation.
- (iii) Having passed Bachelor of Education (B.Ed.) / B.A.Ed. / B.Sc.Ed. from an institution recognized by the National Council for Teacher Education.

(iv) Experience:-

- (a) having continuous service of at least 15 years from the date of joining to the post of Primary Teacher (Trained),
- (b) having continuous service of at least 10 years to the post of Secondary Teacher (Graduate Trained)(TGT) from the date of joining,
- (c) Minimum 12 years of continuous service to the post of secondary teacher in a school having permanent affiliation with Central Board Of Secondary Education (CBSE) / Indian Certificate Of Secondary Education (ICSE) / Bihar School Examination Board (BSEB).



- (d) Minimum 08 years of continuous service to the post of Senior Secondary Teacher (10+2) (Post Graduate Trained)(PGT) from the date of joining,
- (e) Minimum 10 years of continuous service to the post of higher secondary teacher in a school having permanent affiliation with Central Board Of Secondary Education (CBSE) / Indian Certificate Of Secondary Education (ICSE) / Bihar School Examination Board (BSEB). The said period shall be reckoned from the date of joining or the date of attainment of training qualification, whichever is later.
- (v) Age.- The minimum and maximum age limit of the teacher working under these rules shall not be determined separately. For teachers working in a school having permanent affiliation with Central Board Of Secondary Education (CBSE) / Indian Certificate Of Secondary Education (ICSE) / Bihar School Examination Board (BSEB), the minimum age shall be 31 years and the maximum age shall be 47 years.

9. Reservation:-

The provision of reservation enforced by the General Administration Department in direct appointment under the State Government shall also be effective on direct appointment under these rules. Similarly, the provision of reservation enforced by the General Administration Department in promotions under the State Government shall also be effective on promotions to be made under these rules.

10. Pay Scale:-

The teacher/ librarian/ headmaster appointed/promoted in Other Backward Classes Girls Residential +2 High Schools shall be paid the same pay scale which shall be fixed by the education department from time to time, in view of the pay scale accepted by the State Government.

11. Cadre Strength:-

The number and total number of posts of each category of this cadre shall be such as has been sanctioned/determined by the Government up to the date of coming into force of these rules and from subsequent dates as may be approved or determined by the Government from time to time as required.

12. Administrative control over the members of the cadre:-

The administrative department of all the categories of posts of the cadre shall be the Backward Classes and Extremely Backward Classes Welfare Department, which shall exercise administrative control over the members of the cadre.

13. Procedure for an appointment:-

(i) After calculating vacant posts for direct appointment to the post of Primary Teacher (Trained), Secondary Teacher (Graduate Trained) (TGT), Higher Secondary Teacher (10 + 2) (Post Graduate Trained)(PGT), Headmaster and after roster clearance, reservation category wise requisition shall be sent to the Commission as per requirement by Backward Classes and Extremely Backward Classes Welfare Department.

- (ii) In the light of the requisition received for direct recruitment, the Commission shall advertise the number of vacancies. In the application form advertised by the commission, the candidature of teacher-candidate shall be evaluated on the basis of the no-objection certificate issued by the competent authority regarding qualification and experience. The teachers working in schools other than the state government schools shall give certificate to that effect that they have received the salary through the bank account in the prescribed period and the evidence of this is available at their level.
- (iii) The syllabus and pattern for the examination shall be determined by the Commission in consultation with the Administrative Department. In the light of the prescribed syllabus, the examination shall be conducted, the question papers shall be determined, the answer sheets shall be evaluated and the results shall be published by the Commission.
- (iv) This examination shall be of 150 questions, which shall be objective and multiple choices. Each question shall be of one mark and there shall be a negative marking of 0.25 marks for each wrong answer. The duration of the examination shall be of two hours.
- (a) The following Weightage shall be given in the process of appointment to the contract basis employees for regular appointment.
- (b) Pre employed contract basis Graduate Teacher / Lecturer shall be given weightage at the rate of maximum 5 marks per year upto 25 marks (For a fraction of a year, after multiplying the number of working days by 5, the proportion obtained by dividing by 365 shall be added) for satisfactory service. Marks obtained on the basis of weightage shall not be included in the minimum qualifying marks in the examination.
- (c) The relaxation shall be given to the contract basis employees in the maximum age limit equivalent period of work done by them. A fraction of any working year shall also be included in this.
- (v) The Commission shall have the discretion to fix the qualifying marks for the said examination.
- (vi) The appointment shall be made in the light of the recommendation made on the basis of the said examination conducted by the Commission.
- (vii) The recommendation made by the Commission shall not confer any right of appointment unless the Appointing Authority is satisfied after examining the necessary certificates that the candidate is eligible in all respects for appointment to the post of Teacher/Librarian/Headmaster.

14. Scrutiny of certificates .-

(i) It shall be the responsibility of the appointing authority that they shall get the certificates related to educational/training qualification and experience checked as necessary, along with other certificates before issuing the appointment letter.



- (ii) After scrutiny of No Objection Certificate and Experience Certificate of teachers working in a school having permanent affiliation with Central Board of Secondary Education (CBSE) / Indian Certificate of Secondary Education (ICSE) / Bihar School Examination Board (BSEB) by the concerned school and only after making the salary given through the bank account and based on the salary statement verified by the concerned school the appointment letter shall be issued.
- (iii) In case of the certificate is found to be forged or incorrect, while canceling the appointment, other legal action shall be taken while recovering the amount given under the head of the salary etc. under the provisions of the Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914.

15. Terms of Service:-

- (i) Teachers, Librarians and Headmasters may remain appointed till the maximum age of 60 years.
- (ii) The period of first 02 years after appointment shall be the probationary period. In case the service is not satisfactory during this period, it may be extended for one year. If the service is not found satisfactory even in the extended period, the appointing authority shall recommend termination of service to the disciplinary authority after giving an opportunity of being heard in this regard. In the light of the above recommendation the service of the concerned may be terminated by the disciplinary authority.
- (iii) During the period of probation, the Headmaster shall have to complete the institutional or other training prescribed by the Education Department, Bihar, Patna. The calendar and syllabus of training shall be prepared by the department as per the Education Department.
- (iv) In addition to satisfactorily completing the probationary period and successfully completing the prescribed training, the Headmaster shall also have to pass the departmental examination. Detailed guidelines related to departmental examination shall be issued separately by the Central Examination Committee, Revenue Board, Bihar in consultation with the Administrative Department.
- (v) (a) Teacher / Librarian -The service may be confirmed on satisfactory completion of probationary period.
- (b) Headmaster The service may be confirmed after satisfactory completion of probation period, successful completion of training and passing the departmental examination.
- (vi) The inter-se seniority of teachers/librarians/headmasters shall be determined according to the principle laid down by the General Administration Department.

16. Promotion:-

The panel shall be constituted by the department for promotion to the post of Secondary Teacher (Graduate Trained) (TGT) and Higher Secondary Teacher (10 + 2) (Post Graduate Trained)(PGT) and Headmaster. Promotion shall be given to them on

recommendation of the Promotion Committee constituted at the level of Directorate of Backward and Extremely Backward Classes Welfare. Detailed guidelines related to the promotion shall be issued separately by the Administrative Department.

17. Appointment on compassionate grounds.-

In the light of these rules, on the death of a teacher/librarian/headmaster appointed/promoted in service, one of his/ her qualified dependents may be appointed on compassionate ground according to the provision (as amended from time to time) made by the Education Department against available vacancies in concerned School or the School situated in other districts under the Department.

18. Transfer:-

- (i) The post of teacher, librarian and headmaster shall be transferable.
- (ii) In the light of the guidelines issued by the Cabinet Secretariat Department and the Administrative Department from time to time for transfer, the process of transfer can be done by the concerned appointing authority on the respective cadre post.
- (iii) Inter-district transfer of teacher, librarian and headmaster may be done from voluntary/administrative/academic point of view. For this the competent authority shall be the Director, Directorate of Backward and Extremely Backward Classes Welfare.

19. Maintenance of Service Book:-

Maintenance of the Service Book of teacher, librarian and headmaster shall be done at the level of District Backward and Extremely Backward Classes Welfare Officer.

20. Code of Conduct:-

- To complete the prescribed syllabus in an easy and accessible manner.
- (ii) To come to school on time and to conduct the class as per the prescribed routine.
- (iii) Not to harass children mentally and physically while ensuring the protection of child rights.
 - (iv) Not to engage in private business directly or indirectly.
 - (v) Not taking any kind of intoxicant.
- (vi) To play an active role in removing social evils especially child marriage and dowry system.
- (vii) To comply with the directions given by the Appointing Authority, District Officer and District Backward and Extremely Backward Classes Welfare Officer from time to time.
- (viii) To comply with the instructions given by the Bihar School Examination Committee from time to time for the successful conduct of the Annual Secondary Examination and Higher Secondary Examination.
- (ix) The provision contained in the Bihar Government Servant Conduct Rules, 1976 (As amended from time to time) shall be followed.



21. Disciplinary action:-

The provision contained in the Bihar Government Servants (Classification, Control & Appeal) Rules, 2005 (as amended from time to time) shall be applicable to the teachers/ librarian / headmasters appointed under these rules.

22. Appellate Authority:-

The power to decide after hearing complaints/appeals related to appointment under these rule and matters related to the service conditions of teachers/ librarians/ headmasters working under these rules shall be vested in the Additional Chief Sectetary/ Principal Secretary/Secretary, Backward Classes and Extremely Backward Classes Welfare Department.

23. Miscellaneous:-

- (i) The Administrative Department may clarify any of the provisions of these rules and remove difficulties arising in its implementation.
- (ii) The State Government may determine the specified subject and equivalent degree/title of various qualifications for the appointment of subject wise teachers.

24. Power to make regulations:-

The Department may make regulations to give effect to the provisions of these rules.

25. Interpretation:-

If any doubt arises concerning the interpretation of any provision of these rules, then as per requirement, the matter shall be decided by the Department in consultation with the Law Department / General Administration Department / Education Department etc. and the decision of the Department shall be final.

26. Repeal and Saving:-

- (a) The resolutions/rules/orders etc. issued earlier by the Department from time to time in relation to this service shall be deemed to be hereby repealed.
- (b) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of the powers conferred under the previous resolution/rules/orders etc. shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by these rules hereunder, as if these rules were in force on the date on which any such act or such action was taken.

By order of the Governor of Bihar,

(Pankaj Kumar).

Principal Secretary

Memo No.: Pi.Va.Aav.Vi-80-102/2010 - 2052

Patna, Dated: 20/09/2023

Copy forwarded to Finance Department, e-Gazette Branch is sent in duplicate along with CD with the request that it should be published in extraordinary issue of Bihar Gazette and 50

copies of it should be made available to Backward Classes and Extremely Backward Classes Welfare Department Bihar, Patna.

Principal Secretary

Memo No.: Pi.Va.Aav.Vi-80-102/2010 - 2052

Patna, Dated: - 20/09/2023

Copy forwarded to the Accountant General, Bihar, Virchand Patel Path, Patna for information.

Principal Secretary

Memo No.: Pi.Va.Aav.Vi-80-102/2010 - 2052

Patna, Dated: - 20/09/2023

Copy forwarded to Chief Secretary / All Additional Chief Secretaries / All Principal Secretaries / All Secretaries / All Divisional Commissioners / All Directors, Education Department / All District Magistrates / All District Deputy Development Commissioners / All Divisional Deputy Directors, Backward and Extremely Backward Classes Welfare / All District Backward and Extremely Backward Classes Welfare Officers / All District Program Officers (Secondary Education) / All Treasury Officers / All Officers of Backward Classes and Extremely Backward Classes Welfare Department for information and necessary work.

Principal Secretary

Memo No.: Pi.Va.Aav.Vi-80-102/2010 - 2052

Patna, Dated: - 20/09/2023

Copy forwarded to Private Secretary to Hon'ble Minister, Backward Classes and Extremely Backward Classes Welfare Department for information.

Principal Secretary

Memo No.: Pi.Va.Aav.Vi-80-102/2010 - 2052

Patna, Dated: 20/09/2023

Copy forwarded to IT Manager, Backward Classes and Extremely Backward Classes Welfare Department for uploading the copy of the said notification on the departmental website.

Principal Secretary